जेपीडी–6/417

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी (लेखा,कर एवं राजस्व)

क:जे.पी.डी./विशेषाधिकारी(ले.क.रा.)/राजस्व I/पत्रा.165(11)/प्रे. 351 जयपुर, दिनांकः 29.07.15

आदेश

वर्तमान टैरिफ प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित घरेलू उपभोक्ताओ के ऊर्जा प्रभार की दरों में 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु यह छूट ब्लॉक आपूर्ति से अधिक आपूर्ति दिये जाने की अवस्था में देय नहीं है।

निगम के अधिकांश क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ब्लॉक से ज्यादा दी जा रही है परन्तु कतिपय माध्यमो द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि उपखण्डो द्वारा उपरोक्त छूट उन ग्रामीण क्षेत्रो के घरेलू उपभोक्ताओ को भी दी जा रही है जहां ब्लॉक से ज्यादा विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।

अतः सभी अधीनस्थ अधिकारियो को यह आदेश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में आदेश संख्या 1994 दिनांक 24.07.2001 एवं संख्या 1076 दिनांक 08.05.2012 (JPD-6/349) द्वारा जारी निर्धारित टैरिफ़ कोड यथा 1500, 1510, या 1511 का उपयोग कर सम्बन्धित उपभोक्तओ के कोड परिवर्तन की सूचना इनपुट एडवाईज MF-2A में भरकर बिलिंग एजेन्सी को भिजवाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त टैरिफ कोड वर्तमान टैरिफ प्रावधानों के अनुसार संशोधित समझा जाए।

इस संबंध में हुई किसी भी अनियमितता के मामले में संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(अनुराग भारद्वाज)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।
2 मुख्य अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
3 मुख्य लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
4 अधीक्षण अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,..।
5 वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,.....................।
6 मैसर्स बीसीआईटीएस, खंडेला हाऊस, बी. 20, प्रथम तल, शिव मार्ग बनीपार्क,/ मैसर्स डाटा इंफोसिस, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा,/मैसर्स एचसीएल, E-108, शास्त्री नगर जयपुर ।

(के.एल.गुप्ता)
विशेषाधिकारी (एटीआर)